न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी

141/2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 141/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/286**
दायर दिनांक :— 06.07.2023 **निर्णय दिनांक :— 22.07.2025**

1. आईदानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मोतीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. झमुकंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी मोतीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. मेहन्दरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मोतीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. हस्तुकंवर पत्नी आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी मोतीनगर तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 225/109 रकबा 14.4068 सरहद मौजा जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं नक्शा लट्ठा में सामलाती ही दर्ज थी। पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण का खाता राजस्व अभिलेख में तो खाता संख्या 205 खसरा नम्बर 225/109 रकबा 14.0468 हैक्टेयर अलग कायम कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा में अंकित नहीं किया गया जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है जिसको दुरूस्त किया जा सकता है। इसलिये ग्राम जैमला के खसरा नम्बर 225/109 रकबा 14.4068 हैक्टेयर को राजस्व अभिलेख भू—नक्शा में अकंन करवाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

23/7/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम जैमला पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 225/109 रकबा 14.4068 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के कथन किये है। परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की तरमीम पूराना लट्ठा में हो रखी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)